रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102025-267222 CG-DL-E-28102025-267222

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4764]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 28, 2025/ कार्तिक 6, 1947
No. 4764]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 28, 2025/ KARTIKA 6, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालाय

अधिसचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4915(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवम्बर, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध सिक्किम राज्य के मंगन, सोरेंग और ग्यालिशंग जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे, अर्थात :—

- (i) धारा 38 से धारा 43;
- (ii) धारा 45क से धारा 45ज;
- (iii) धारा 46 से धारा 75;
- (iv) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4); और
- (v) धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013 / 04 / 2025-एसएस-l]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

7186 GI/2025 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2025

S.O. 4915(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2025 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force in the entire area of the Soreng, Gyalshing and Mangan Districts in the State of Sikkim, namely: —

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 75;
- (iv) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (v) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/04/2025-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.